



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ- 226003

निर्माण विभाग, सिविल सेक्शन

फोन (कुलरायिब कार्यालय) : 0522-2253171 ई-मेल : eng.civil@kgmcindia.edu

पत्रांक: 2158/10

दिनांक: 22.05.2024

अति अल्पकालीन ई-निविदा नोटिस

607

एतद्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ में निम्नलिखित कार्यों हेतु निर्माण विभाग (सिविल) के०जी०एम०यू० में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिशत दर पर टू बिड सिस्टम के आधार पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदायें वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 24.02.2024 अपराह्न 11.00 बजे से दिनांक 07.03.2024 दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन सर्वापट की जा सकती हैं। उक्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 07.03.2024 को 3.30 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। उसके उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पायी गयी फर्मों की ही फाइनेंसियल बिड खोली जायेगी। सम्बन्धित कार्यों, नियम व शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kgmu.org पर भी की जा सकती है। किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मा० कुलपति जी में निहित होगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत ₹० में	धरोहर राशि (₹० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र शुल्क (स्टेशनरी चार्ज व 18% जी०एस०टी० सहित)
1	Repair and renovation of research cell office at first floor of old administrative block KGMU	3616843.00	361684.00	3 months	800.00+144.00 =944.00

नियम एवं शर्तें:-

- निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु "बैंक ड्राफ्ट" जो वित्त अधिकारी, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ को देय होगा एवं निर्धारित धरोहर राशि हेतु एफ०डी०आर०/राष्ट्रीय बचत पत्र जो वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में बंधक होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि हेतु डी०डी० व एफ०डी०आर० की स्कैन प्रतियां पी०डी०एफ० फाइल में टेक्निकल बिड के साथ अपलोड करनी होगी एवं उक्त की मूल प्रतियां निर्धारित तिथि तक निर्माण विभाग कार्यालय में जमा करनी होगी। धरोहर राशि के रूप में लगायी गयी एफ०डी०आर०/राष्ट्रीय बचत पत्र जो निविदा की निर्धारित तिथि के मध्यावधि (current date) में जारी की गयी हो, मान्य होगी।
- समस्त ठेकेदारों को पंजीयन प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन, डी०डी०, एफ०डी०आर० एवं पैन कार्ड की स्कैन प्रतियां टेक्निकल बिड के साथ अपलोड करनी होगी एवं अपलोड किये गये सभी प्रपत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं डी०डी०, एफ०डी०आर० की मूल रूप में निर्माण विभाग (सिविल) कार्यालय, के०जी०एम०यू० में दिनांक 07.03.2024 दोपहर 12.00 बजे तक पंजीकरण डाक अथवा व्यक्तिगत रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। किसी प्रमाण-पत्र के गलत पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 लोक निर्माण अनुभाग-12 दिनांक 08 जून 2012 में उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार कार्यों हेतु प्राप्त निविदा की लागत कार्य से 10 प्रतिशत निम्न प्राप्त हुये हो तो उस दशा में 10 प्रतिशत निम्न दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 01 प्रतिशत प्रति कम दर के लिये परफारमेंस सिक्यूरिटी जमा कराया जायेगा।
- निविदादाता का निर्माण विभाग (सिविल), के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- प्रत्येक निविदादाता द्वारा ₹० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) ऑनलाइन स्कैन करते हुए निविदा में साथ संलग्न किया जायेगा।
- पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात् कभी भी यह संज्ञान में आता है कि वह ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया कार्य का ठेका नोटिस जारी कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- धरोहर राशि, जी०एस०टी०, लेबर सेस एवं अन्य कर के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेश के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है जिसको करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- कार्य का विवरण व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निर्माण विभाग, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ से की जा सकती है।
- सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
- कार्यस्थल की प्रतिदिन सफाई कराये जाने के साथ कार्य के दौरान निकले मसवे को प्रतिदिन निस्तारित करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Sanku Kumar
अधिसारी अभियन्ता(सि०)

[Signature]
अधीक्षण अभियन्ता



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ- 226003

निर्माण विभाग, सिविल सेक्शन

फोन (कुलसचिव कार्यालय) : 0522-2253171 ई-मेल : eng.civil@kgmcindia.edu

पत्रांक:..... /

दिनांक:..... / .. /

क्रमांक----- / दिनांक-----

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/वार्डेन, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. फैंकल्टी इंचार्ज, आई०टी० सेल, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त नोटिस-ई-मेल के द्वारा इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त नोटिस को चिकित्सा विश्वविद्यालय की वेब साइट www.kgmu.org पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. अधिशासी अभियन्ता निर्माण विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सहायक अभियन्ता निर्माण विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. सहायक निजी सचिव मा० कुलपति जी को मा कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
9. समस्त पंजीकृत ठेकेदार, निर्माण विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० उ०प्र०, लखनऊ।
10. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता(सि०)

अधीक्षण अभियन्ता